बिहार विधान मंडल पुस्तकालय
कोष/संदर्भ ग्रंथ
564/2
29/9/12

खण्ड : 2 संख्या : 2, 3, 4, 5, 6

दशम् बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(द्वितीय सत्र)

(भाग-1 कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

सत्यमेव जयते

सोमवार, दिनांक : **25 जून 1990 ई०**

मंगलवार, दिनांक : **26 जून 1990 ई०**

बुधवार, दिनांक : **27 जून 1990 ई०**

वृहस्पतिवार, दिनांक : **28 जून 1990 ई०**

शुक्रवार, दिनांक : **29 जून 1990 ई०**

(1) क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत अकबरपुर में श्री अवधेश सिंह, थाना प्रभारी बारह वर्षों से पदस्थापित है?

(1) उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि श्री अवधेश सिंह ने मगध क्षेत्र के नवादा जिला में दिनांक 28.1.82 को योगदान दिया। दिनांक 15.1.88 को अकबरपुर थाने में इन्हें थाना प्रभारी के रूप में पदस्थापित किया गया तथा दिनांक 1.5.90 को अकबरपुर से स्थानांतरित कर दिया गया।

(2) क्या यह बात सही है कि सरकारी आदेशानुसार कोई पदाधिकारी एक जिला में 6 (छः) साल से तथा एक रेंज में 12 साल से अधिक नहीं रह सकता है;

(2) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार श्री सिंह थाना प्रभारी का स्थानान्तरण करने का विचार रखती हैं यदि नहीं तो क्यों?

(3) खंड-(1) के उत्तर से स्थिति स्पष्ट हो जाती है।

अपहरण की रोकथाम

18. श्री शिवाधर पासवान : क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–

श्री लालू प्रसाद :

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलों में विगत मार्च, 90 से अपहरण की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(1) उत्तर अस्वीकारात्मक है। मार्च, 90 में रोहतास जिले में अपहरण की 12, अप्रैल में 8, मई में 5 एवं जून में 22.6.90 तक एक भी घटनायें नहीं घटी है। इससे स्पष्ट है कि मार्च, 90 को छोड़कर अप्रैल, मई एवं जून माह में अपहरण की घअनाओं में काफी कमी आई है।

(2) यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो अपहरण की घटनाओं की रोकथाम की दिशा में सरकार कौन सी कार्रवाई करने का विचार रखती है?

(2) अपहरण की घटनाओं की रोकथाम के लिये आरक्षी अधीक्षक द्वारा पुराने कांडों का तीव्रता से अनुसंधान कराया गया है। अपहरणकर्त्ता के गिरोह की पहचान कर ली गयी है और उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गयी है जिससे इन घटनाओं में काफी कमी आई है।

प्रक्षेत्रीय महानिरीक्षक, पटना प्रक्षेत्र द्वारा भी अपहरण कांडों की समीक्षा 29.5.90 को की गयी है। उन्होंने अपने कार्यालय के ज्ञापांक 1936 दिनांक 31.5.90 के द्वारा अधीनस्थ पुलिस पदाधिकारियों को अपहरण की

घटनाओं की रोकथाम हेतु पुनः निर्देश दिये हैं। इनके कार्यान्वयन का भी अनुकूल प्रभाव फिरौती, अपहरण के कांडों को रोकने पर पड़ा है और जून में अभी तक एक भी कांड प्रतिवेदित नही हुआ है।

अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई

19. श्री शिवाधर पासवान :क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–	प्रभारी मंत्री :
(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के राजकुँअसा गांव में मई, 1990 में जातीय संघर्ष में तीन हरिजन एवं तीन कोईरी जाति के लोग मारे गये हैं;	(1) उत्तर स्वीकारात्मक है।
(2) क्या यह बात सही है कि पिछले विधान-सभा चुनाव से ही गांव में तनाव व्याप्त था और उसकी जानकरी जिला प्रशासन को थी;	(2) उत्तर नकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि महतो जाति के लाली महतो के अवैध आग्नेयास्त्र था जिसे उन्होंने राजू पासवान के यहां रखा था और मांगने पर नहीं लौटाया फलस्वरूप दोनो पक्षों में गहरा मतभेद हो गया।